



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 2893 / रेनुकूट / 15-6 रेनुकूट, दिनांक, फरवरी, 27, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजारपुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- एन०टी०पी०वी०सी० रिहन्दनगर, बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- 1-इस कार्यालय का पत्रांक- 1781/रेनुकूट/15-6 दिनांक- 01.12.2022
3-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-2130/मी०क्षे०/33 दिनांक-14.12.2022
4-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-2217/11-सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-30.12.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-30.12.2022 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की संशोधित प्रति निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-2217/11-सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-30.12.2022 में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है । अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट जमा किये जाने हेतु स्पष्ट वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
3	प्रस्ताव में संलग्न लीज अवधि प्रमाण-पत्र में लीज अवधि 30 वर्ष जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में लीज अवधि 99 वर्ष अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः सही लीज अवधि प्रमाण-पत्र में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित लीज अवधि प्रमाण पत्र प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
4	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में एन०पी०वी० की दर पूर्व की दर के अनुसार ली गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः नई संशोधित दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे० अवनत वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु संलग्न प्राक्कलन में तथा मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र में सी०ए० की धनराशि पूर्व में कराये गये वृक्षारोपण के क्षेत्रफल एवं वर्तमान में प्रस्तावित वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में भिन्नता है अतः सही स्थिति स्पष्ट कर सही प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख व सूचना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।

इस इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन०टी०पी०सी० द्वारा वर्तमान में संशोधित प्रस्ताव में प्रभावित 555.759 हे० वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि $555.759 \times 2 = 1111.518$ या 1112 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	वर्ष 1999 में सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०मे)	अभ्युक्ति
1	280.508 हे०	188.241	एन०टी०पी०सी० द्वारा वन विभाग को वापस किये गये धारा-20 का क्षेत्रफल
2	-	643.759	नया चयनित अवनत वन भूमि
	280.508	832.00	

क्षेत्रफल में कोई भिन्नता नहीं है ।

6 प्रस्ताव में 188.241 हे० वन भूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 639 हे० शुद्ध क्षेत्रफल का Geo Referenced Digital Map, संलग्न किया गया है, जबकि सी०ए० के गोश्वारा में 643.759 हे० में वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः प्रस्ताव में 188.241 हे० वन भूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित कुल स्थलो का सही क्षेत्रफल Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।

इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित कुल स्थलो का सही Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

7 ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे० क्षेत्रफल की के०एम०एल० फाइल एवं उससे सम्बन्धित विवरण Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट अपलोड नहीं है ।

इस बिन्दु के अनुपालन में 188.241 हे० क्षेत्रफल की के०एम०एल० फाइल एवं उससे संबंधित मानचित्र ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

8 ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(1) में अपलोड की गयी सी०ए० की के०एम०एल० फाइल का सकल क्षेत्रफल अपलोड किया गया है, जो कि शुद्ध वृक्षारोपण क्षेत्रफल से अधिक हो रहा है । अतः सी०ए० की के०एम०एल० फाइल का शुद्ध क्षेत्रफल अपलोड करे ।

इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित एवं शुद्ध क्षेत्रफल ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

9 प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता में 29 करोड़ रु० पूर्व में जमा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि एन०पी०वी० की गणना में पूर्व में धनराशि रु० 258067360/- एन०पी०वी० की सही धनराशि, वचनबद्धता एवं एन०पी०वी० की गणना में उल्लेख कर ऑनलाइन अपलोड करे ।

इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

10 प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण

इस बिन्दु के अनुपालन में आख्या/अभिलेख

	रिपोर्ट संलग्न नहीं है ।	प्रभाग स्तर से वांछित नहीं है ।
	ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड सी0ए0 की धनराशि प्रस्ताव में अंकित सी0ए0 की धनराशि एवं मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र में अंकित सी0ए0 की धनराशि से भिन्न है । अतः ऑनलाइन भाग-2 में सही धनराशि अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित अभिलेख प्रस्ताव में यथास्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
12	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि के राजस्व मैप/कैडिस्ट्रल मैप में प्रस्तावित स्थलों के गाटो को चिन्हित नहीं किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में राजस्व मैप /कैडिस्ट्रल मैप में प्रस्तावित स्थलों को चिन्हित करा दिया गया है ।
13	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 393 पर संलग्न सी0ए0 गोश्वारा में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 280 हे0 में पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र में 561 हे0 में सी0ए0 की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है, जो कि विरोधाभाष है । अतः सही गोश्वारा संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में 280.508 हे0 के दुगुने अवनत वन भूमि $280.508 \times 2 = 561.00$ हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु एन0टी0पी0सी0 से कुल $\text{रु0 } 4969500 + 32738115 = 37707615/-$ जमा कराया गया, जिसमें से $4969500/-$ की धनराशि 280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर वर्ष 1999 में वनीकरण कार्य पूर्ण किया गया तथा 280.508 हे0 पर वनीकरण कार्य हेतु उक्त $32738115/-$ रु0 कैम्पा मद में जमा है जिससे वनीकरण कार्य नहीं किया गया है ।
14	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अपेक्षित कार्यवाही प्रभाग स्तर से वांछित नहीं है ।
15	ऑनलाइन भाग-2 एवं प्रस्ताव से पूर्व के त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्रों को पृथक करते हुये संशोधित प्रमाण-पत्र यथास्थान पर संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव में पूर्व के त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्रों को पृथक करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड करा दिया गया है ।
16	प्रस्ताव की एक प्रति में पेनड्राइव संलग्न नहीं है । तथा संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित वन भूमि की एवं 188.241 हे0 वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है । अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित एक पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं सी0ए0 की पूर्ण के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें ।	प्रस्ताव में इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए संशोधित पेनड्राइव संलग्न करा दिया गया है ।

संलग्नक:-उपरोक्तनुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : उप महाप्रबन्धक(मा0सं0) एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर जिला-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त प्रस्ताव के स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(मनमोहन मिश्र)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट